न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 319/2024 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
पोलाराम पुत्र राहिंगाराम जाति जाट, निवासी जीयाणियों की बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1 लाखाराम पुत्र गंगाराम 2 चूनाराम पुत्र धर्माराम 3 ठाकराराम पुत्र धर्माराम 4 धाईदेवी पत्नी धर्माराम 5 नगाराम पुत्र धर्माराम 6 हनुमानराम पुत्र धर्माराम 7 रामाराम पुत्र कोजाराम 8 खेराजराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट, निवासी जीयाणियों की बस्ती, काश्मीर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 9 शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू 10 शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मौखाब 11 तहसीलदार शिव 12 किरताराम पुत्र धर्माराम 13 गोरखाराम पुत्र विरधाराम 14 सरूपाराम पुत्र विरधाराम 15 हरखूदेवी पत्नी विरधाराम 16 हीराराम पुत्र धर्माराम 17 डाउराम पुत्र हेमाराम 18 धुड़ाराम पुत्र हेमाराम 19 राजोंदेवी पत्नी हेमाराम 20 अर्जुनराम पुत्र आसूराम 21 जेठाराम पुत्र जैसाराम 22 टीकमाराम पुत्र जैसाराम 23 डूंगराराम पुत्र जैसाराम 24 मगाराम पुत्र आसूराम 25 लक्ष्मीदेवी पत्नी आसूराम 26 मोतीराम पुत्र अणदाराम 27 सामाराम पुत्र अणदाराम जाति जाट, निवासी जीयाणियों की बस्ती, काश्मीर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 28 शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक शाखा भीयाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला-बाड़मेर

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता प्रार्थी — श्री बालाराम गोदारा।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 5 — श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
3. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 12, 14, 17, 18, 26 व 27 — श्री देवीलाल कुमावत।
4. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 20 से 23 व 25 — श्री सवाईसिंह राठौड़।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 23.01.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 840/632 रकबा 4.2087 हैक्टेयर मौजा जीयाणियों की बस्ती, तहसील शिव में आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के मौजा जीयाणियों की बस्ती, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 1005/676, 776/677, 813/677, 841/632, 677 रकबा क्रमशः 88.4094, 6.9687, 6.9606, 4.2735, 6.9687 हैक्टेयर में प्रार्थी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थी ... उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। ... द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। ... नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थी उक्त रास्ते हेतु ... जाने वाली भूमि की ... राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थी का निवेदन ... कि प्रार्थी के आवेदन को ... कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.03.23 12:41:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में अन्य वैकल्पिक रास्ते का अंकन नहीं होने तथा स्पष्ट रिपोर्ट नहीं होने पर तहसीलदार शिव से पुनः

उपखण्ड अधिकारी शिव

मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त हुई। तहसीलदार शिव से प्राप्त पुनः मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 840/632 तक आवागमन हेतु प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा दो अन्य विकल्प होना बताया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते अनुसार प्रस्तावित रास्ते की चलायमान रास्ते से दूरी 303 गट्ठा है जबकि अन्य वैकल्पिक रास्ता अनुसार विकल्प "ए" अनुसार प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 284 गट्ठा तथा विकल्प "बी" अनुसार प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 288 गट्ठा है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पंहुचने हेतु वर्तमान में कोई चलायमान रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रस्तावित मार्ग व वैकल्पिक मार्ग विकल्प "ए" और "बी" के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। विप्रार्थी संख्या 20 से 23 व 25 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर अपनी खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता हेतु बिना प्रतिफल राशि लिये सहमति प्रदान की गई। विप्रार्थी संख्या 1 से 5, 12, 14, 17, 18, 26 व 27 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया जाकर आपत्ति पेश की गई। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त पुनः मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार वैकल्पिक प्रस्तावित रास्ता विकल्प "ए" धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 20 से 23 व 25 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तावित रास्ता बिना प्रतिफल राशि लिये कटाण किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई। विप्रार्थी संख्या 1 से 5, 12, 14, 17, 18, 26 व 27 के अधिवक्तागण द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति करते हुए मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार होने, उक्त आवेदन हम विप्रार्थीगण को नाहक परेशान करने एवं हमारी भूमि को नष्ट करने के आशय से पेश किया हुआ होने तथा उन्हे सूचित नहीं किये जाने का कथन करते हुए आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पुनः मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट नहीं होने पर पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते अनुसार प्रस्तावित रास्ते की चलायमान रास्ते से दूरी 303 गट्ठा है जबकि अन्य वैकल्पिक रास्ता अनुसार विकल्प "ए" अनुसार प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 284 गट्ठा तथा विकल्प "बी" अनुसार प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 288 गट्ठा है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत किसी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पंहुच हेतु आत्यांतिक आवश्यकता होने पर निकटतम, लघुतम एवं सुगम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। उक्त आवेदन में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु रास्ता चाहे जाने पर मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के साथ वैकल्पिक रास्ते के संबंध में स्पष्ट अंकन नहीं होने पर पुनः तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। पुनः प्राप्त मौका रिपोर्ट में पूर्व में प्रेषित मौका रिपोर्ट मे प्रस्तावित रास्ते तथ्यात्मक विवेचन किया जाकर वैकल्पिक प्रस्तावित रास्ता विकल्प "ए" और विकल्प "बी" की रिपोर्ट प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट प्रस्तावित रास्ता विकल्प "ए" प्रार्थी की खातेदारी भूमि से सबसे निकटतम एवं लघुतम है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु मौजा जीयाणियों की बस्ती में विप्रार्थी संख्या 7 के खसरा नम्बर 814/677 रकबा 6.9606 हैक्टेयर में से रकबा 0.0036 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 8 के खसरा नम्बर 674 रकबा 0.7042 हैक्टेयर में से रकबा 0.0036 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 से 6 के खसरा नम्बर 1005/676 रकबा 8.4094 हैक्टेयर में से रकबा 0.1201 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर [illegible]676 रकबा 8.4660 हैक्टेयर में से रकबा 0.2495 हैक्टेयर भूमि उपयोग में [illegible] के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता [illegible] नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम व लघुतम है तथा धारा 251 ए के प्रावधानों को पूरा करता है। विप्रार्थी संख्या 1 से 5, 12, 14, 17, 18, 26 व 27 के अधिवक्तागण द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार होने तथा उन्हे सूचित नहीं किये जाने का कथन किया गया है जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया, जिससे स्पष्ट हो कि मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई हो। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। चूंकि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की आत्यांतिक आवश्यकता होने एवं निकटतम व लघुतम विकल्प होने पर रास्ते हेतु उपयोग मे ली जाने वाली भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.03.23 12:41:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

में वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थी द्वारा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त पुनः मौका रिपोर्ट के संलग्न विकल्प 'ए' नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 840/632 रकबा 4.2087 हैक्टेयर मौजा जीयाणियों की बस्ती, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु तहसीलदार शिव की पुनः मौका रिपोर्ट के संलग्न विकल्प 'ए' नक्शा अनुसार विप्रार्थी संख्या 7 के खसरा नम्बर 814/677 रकबा 6.9606 हैक्टेयर में से रकबा 0.0036 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 8 के खसरा नम्बर 674 रकबा 0.7042 हैक्टेयर में से रकबा 0.0036 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 से 6 के खसरा नम्बर 1005/676 रकबा 8.4094 हैक्टेयर में से रकबा 0.1201 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 676 रकबा 8.4660 हैक्टेयर में से रकबा 0.2495 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 23.01.2026 को सरे इजलास सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.03.23 12:41:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव